:: मूल वाद में डिक्री ::
(आदेश 20 नियम 6–7 जा.दी.)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारीः–श्रीमति टीना डाबी, आई.ए.एस.
मुकदमा नम्बरः– 154/2011 राजस्व वाद
वादपत्र अन्तर्गत धारा 88–89–92(क) 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
श्रीमति प्रेम देवी उर्फ श्यामदेवी पत्नि रामचन्द्र बैरवा, उम्र बालिग निवासी बैरवा मोहल्ला, गुलमंडी– भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान) -----वादिया

बनाम

1–श्री रतन लाल पिता राजू चमार, उम्र बालिग निवासी रीछड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा
2–श्री नाथू पिता राजू चमार, उम्र बालिग निवासी बगता बाबा रोड़, गली नम्बर 7 तिलक नगर, भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
3–नाना पुत्री राजू पत्नि उगमा चमार, उम्र बालिग निवासी गेन्दलिया तहसील कोटड़ी जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
4–श्रीमति गीता पुत्री राजू पत्नि मदनलाल बैरवा, उम्र बालिग निवासी बड़ामहुआ तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
5–राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राज0)
6–उप पंजीयक महोदय, पंजीयन कार्यालय, भीलवाड़ा (राजस्थान) -----प्रतिवादीगण

---

वादिया की ओर से श्री विनोद राव, एडवोकेट और प्रतिवादी की संख्या 1 से 4 की ओर से अनिता व्यास, एडवोकेट की उपस्थिति में इस वाद के आज दिनांक 4.2. 2019 को न्यायालय के समक्ष अंतिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि और डिक्री की जाती है कि – और इस मद के खर्चे लेखों प्रतिशत रूपयों की राशि आज तारीख से वसूली तारीख तक उस पर प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित द्वारा राशि – को दी जायें।

न्याय हित में वादिया एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 के द्वारा प्रस्तुत आपसी राजीनामा के अनुसार वादिया का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर डिक्री बहक वादिया विरूद्व प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम रीछड़ा पटवार हल्का रीछड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा में स्थित हाल आराजी नम्बर 2129/2 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा भूमि का वादिया को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं, उसी अनुसार भूमि वादिया के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज करते हुए प्रतिवादी संख्या 1 से 4 का नाम राजस्व रेकार्ड में से हटाया जावें। प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के विरूद्व स्थायी निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाती है कि वह वादिया के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की बाधा अथवा हस्तक्षेप नहीं करें। तथा शांतिपूर्वक उपयोग–उपभोग करने देवें। खर्चा फरीकेन अपना–अपना वहन करें।

(टीना डाबी)
(आई.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

आज दिनांक 4.2.2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा